आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

(5)

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

Confiscation Case No. 22/2018-19

सरकार **बनाम** अनाउल अंसारी एवं अन्य

6.8.19

प्रस्तुत वाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नारायणपुर द्वारा दिनांक 16.07.2018 को दिए गये प्रतिवेदन के आधार पर दायर है।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नारायणपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि थाना प्रभारी नारायणपुर के पत्रांक–1503, दिनांक–15.07.2018 के द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि थाना प्रभारी नारायणपुर द्वारा दिनांक–15.07.2018 को अनाउल अंसारी, पिता मनु मियाँ गाम मिरगा थाना नारायणपुर के दुकान में छापामारी की गयी। थाना प्रभारी नारायणपुर द्वारा जप्ती सूची बनाकर कुल 280 लीटर किरासन तेल, 175 लीटर पेट्रोल तथा 490 लीटर डीजल जप्त किया गया। थाना प्रभारी नारायणपुर द्वारा जप्ती सूची के अनुसार जप्त कुल 280 लीटर नीला किरासन तेल अवैध रूप से रखने के कारण अनाउल अंसारी, पिता मनु मियाँ एवं नूर मोहम्मद, पिता अनाउल अंसारी, ग्राम–मिरगा, थाना–नारायणपुर, जिला–जामताड़ा के विरूद्ध E.C. Act की धारा–7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया जिसका थाना काण्ड संख्या–107/18, दिनांक 15.07.2018 है।

विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया। विपक्षी के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया।

विपक्षी के अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे अपने परिवार के पाँच राशनकार्ड धारियों से प्रत्येक माह 4 लीटर प्रति कार्ड के दर से किरासन तेल का उठाव कर भंडारित करते है। एवं जप्त किये गए 280 लीटर किरासन तेल अपने परिवार द्वारा जन वितरण प्रणाली से प्राप्त है।

इस संदर्भ में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नारायणपुर के पत्रांक–38, दिनांक–02.07.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्त्तमान वर्ष में प्रति कार्ड 2.5 लीटर किरासन तेल ही एक कार्ड धारियों को राज्य सरकार द्वारा आवंटित एवं वितरण किया जाता है। विपक्षी का यह दावा स्पष्टतया झूठ एवं गलत है। साथ ही उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा घरेलु उपयोग के लिए 20 लीटर से अधिक किरासन तेल का भंडारण करना अवैध है।

अनाउल अंसारी, पिता मुन मियाँ एवं उनके पुत्र नुर मोहम्मद पिता, अनाउल अंसारी, ग्राम–मिरगा, थाना–नारायणपुर को क्रय–विक्रय एवं भंडारण हेतु कोई अनुज्ञप्ति नहीं है। इस प्रकार नीला किरासन तेल सरकारी नियंत्रित तेल है जिसे खुले बाजार में क्रय–विक्रम एवं भंडारण करना गैर कानुनी है।

अतः नारायणपुर थाना काण्ड संख्या–107/18, दिनांक–15.07.2018 में जप्त अवैध 280 लीटर नीला किरासन तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा– 6A के तहत राजसत्त किया जाता है।

वाद की कार्रवाही समाप्त की जाती है।

6/8/19

उपायुक्त,
जामताड़ा।

24.8.19

Scanned with CamScanner